उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य)अनुभाग-3

संख्या-14/2015-सा-3-414/दस-2015-944/88

लखनऊ : दिनाँक : 24 जून, 2015

विज्ञप्ति

राज्य सरकार के पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु विज्ञप्ति संख्या-सा-3-2356/दस-88-944/88, दिनाँक 06 फरवरी, 1989 द्वारा गठित "पेंशनर सलाहकार समिति" को विज्ञप्ति संख्या-सा-3-638/दस-2008, दिनाँक 14-05-2008 द्वारा भंग किया गया था। विभिन्न पेंशनर संघों की मांग पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त, "पेंशनर सलाहकार समिति" को तात्कालिक प्रभाव से पुनर्जीवित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- समिति की सरंचना निम्नानुसार होगी:-

(1)-प्रमुख सचिव, वित्त	अध्यक्ष
(2)-प्रमुख सचिव, न्याय	सदस्य
(3)-प्रमुख सचिव, गृह	सदस्य
(4)-प्रमुख सचिव, कार्मिक	सदस्य
(5)-प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	सदस्य
(6)-अध्यक्ष संयुक्त पेंशनर्स समन्वय समिति, लखनऊ।	सदस्य
(7)-अध्यक्ष गर्वनमेण्ट पेंशनर्स वेल्फेयर आर्गनाईजेशन, लखनऊ।	सदस्य
(8)-अध्यक्ष उ0प्र0 पुलिस पेंशनर्स कल्याण संस्थान, लखनऊ।	सदस्य
(9)-अध्यक्ष, उ0प्र0 सचिवालय, पेंशनर्स वेल्फेयर एसोसियेशन, लखनऊ।	सदस्य

--2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(10)-अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राजकीय सिविल पेंशनर परिषद, लखनऊ। सदस्य

(11)-श्री शिव प्रकाश, से0नि0, विशेष सचिव एवं निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 लखनऊ। सदस्य

(12)-निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ। सदस्य

(13)-निदेशक, पेंशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ। सदस्य

(14)-विशेष सचिव, वित्त(लेखा) सदस्य

(15)-विशेष सचिव, वित्त(सामान्य)अनुभाग'3 सदस्य सचिव।

3- समिति के कार्यकलाप निम्नवत् होंगे :-

(1)- समिति पेंशनर्स एसोसियेशन्स के माध्यम से प्राप्त ऐसे गम्भीर मामलों जिनमें पेंशन स्वीकृत होने में अथवा पेंशनर्स के किन्ही और मामलों में अत्यधिक विलम्ब हो गया हो और संबंधित अधिकारी द्वारा उसकी सुनवाई न की जा रही हो, का अनुश्रवण करेगी।

(2)- समिति पेंशनर्स एसोसियेशन्स की ऐसी मांगों का जो समिति को प्रस्तुत की जाये, पर विचार कर समुचित कार्यवाही करने के संबंध में संस्तुति करेगी।

(3)- समिति पेंशन संबंधी नियमों / व्यवस्था में और अधिक सुधार लाये जाने हेतु विचार कर संस्तुति करेगी।

(4)- समिति पेंशनर्स के कल्याण के संबंध में विचार करेगी और पेंशनर्स की कल्याणकारी योजनाओं के संबध में संस्तुति करेगी।

(5)- अन्य कोई कार्य जिसे समिति उपयुक्त समझे या जो शासन द्वारा समिति को सौंपा जाये, का सम्पादन करेगी।

(6)- चूंकि पेंशनर्स को विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु समिति का गठन किया गया है, अत: पेंशनर्स एवं पेंशनर्स एसोसियेशन्स

--3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अपनी समस्याओं एवं मांगों को समिति के सदस्य सचिव (पेंशन निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ) को प्रस्तुत करेंगे, जो उन्हें अपनी टिप्पणी सहित समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे।

4- समिति की बैठक:-

समिति की बैठकें लखनऊ में सामान्यत: तीन माह में एक बार हुआ करेगी, किन्तु समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन से ऐसी बैठकें तीन माह से पूर्व भी बुलाई जा सकेंगी। समिति की बैठक में मान्यता प्राप्त पेंशनर संगठनों के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया जायेगा।

5- समिति की बैठकों पर होने वाला व्यय:-

समिति की बैठकों से संबंधित समस्त व्यय आय-व्ययक की अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि) के अधीन लेखाशीर्ष "2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-आयोजनेत्तर-800 अन्य व्यय-03-पेंशन निदेशालय" के अन्तर्गत मानक मद "42- अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

संख्या-14/2015-सा-3-414(1)/दस-2015-944/88, तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1)- प्रमुख सचिव, वित्त/ गृह / न्याय/ बेसिक शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा/ उच्च शिक्षा के निजी सचिव।

(2)- श्री शिव प्रकाश, (से0नि0) विशेष सचिव एवं निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

--4/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3)- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

(4)- शासन के समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव/ विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन।

(5)- प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

(6)- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(7)- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया इस विज्ञप्ति का समुचित प्रसार एवं प्रचार करा दें।

(8)- संयुक्त पेंशनर्स समन्वय समिति, उ0प्र0, 51 मानस विहार, कुर्मान्चल नगर, लखनऊ।

(9)- गर्वनमेण्ट पेंशनर्स वेलफेयर आर्गनाईजेशन, उ0प्र0, एच0आई0जी0, 80/23, रूचि खण्ड-1, शारदा नगर, लखनऊ।

(10)- उ0प्र0 राजकीय सिविल पेंशनर्स परिषद, बी-1/81, सेक्टर "जी", अलीगंज, लखनऊ।

(11)- पी0सी0एस0 (रिटायर्ड) आफिसर्स एसोसियेशन, उ0प्र0, 32-बी, अग्निपथ, ए0डी0ए0 कालोनी, 07 सप्रू रोड, इलाहाबाद।

(12)- उ0प्र0 सचिवालय, पेंशनर्स वेलफेयर एसोसियेशन, 54 कैण्ट रोड, उदयगंज, लखनऊ।

(13)- उ0प्र0 पुलिस पेंशनर्स कल्याण संस्थान, 19/47, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

(14)- सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स कल्याण संघ, उ0प्र0 राजभवन, 630, अलंकार सिनेमा रोड, लखनऊ।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।